संख्या-52/2023/3321/ 58-1-2023-54-2002(001)/4/2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 02 नवम्बर, 2023**

विषय: व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-459//बा0वि0परि0/आं0बा0स्था0/2023-24, दिनांक 21 जुलाई, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान में रु0 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/ राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

6- प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

8- उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9- प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

10- योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

11- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

12- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- नवीन कार्यों हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के पूर्व योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी.एम.-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-148-E-4-115-X-2023-24, दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : बी.एम.-9 (भाग-1)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या-3321(1)/58-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
5. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त(लेखा) अनुभाग-1।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A054-20232024-54-2002-001-4-2023-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 16-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
049	2235021022100 (मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना)	42 (अन्य व्यय)	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	97,00,00,000 रुपये सत्तानवे करोड़ मात्र	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
कुल					₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
049	2235021020300 (बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	8,10,00,000 रुपये आठ करोड़ दस लाख मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	11,10,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ दस लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. उपलब्ध बचत का कारण-योजना अभी संचालित नहीं है और लगभग चार माह व्यतीत हो चुके हैं। अत: बचत सम्भावित है।
2. अधिक व्यय का कारण-बजट प्रावधान कम होने के कारण।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-148-E-4-115-X-2023-24-दिनांक 25-10-2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

(धर्मेन्द्र मिश्र)
उप सचिव।

संख्या : /58-1-2023/54-2002-001-4-2023-2,दिनांक 02 नवंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3. निदेशक,वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-52/2023/3321/ 58-1-2023-54-2002(001)/4/2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 02 नवम्बर, 2023**

विषय: व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-459//बा0वि0परि0/आं0बा0स्था0/2023-24, दिनांक 21 जुलाई, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान में रु0 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/ राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

6- प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

8- उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9- प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

10- योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

11- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

12- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- नवीन कार्यों हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के पूर्व योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी.एम.-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-148-E-4-115-X-2023-24, दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : बी.एम.-9 (भाग-1)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या-3321(1)/58-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
5. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त(लेखा) अनुभाग-1।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A054-20232024-54-2002-001-4-2023-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 16-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
049	2235021022100 (मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना)	42 (अन्य व्यय)	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	97,00,00,000 रुपये सत्तानवे करोड़ मात्र	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
कुल					₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
049	2235021020300 (बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	8,10,00,000 रुपये आठ करोड़ दस लाख मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	11,10,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ दस लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. उपलब्ध बचत का कारण-योजना अभी संचालित नहीं है और लगभग चार माह व्यतीत हो चुके हैं। अत: बचत सम्भावित है।
2. अधिक व्यय का कारण-बजट प्रावधान कम होने के कारण।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-148-E-4-115-X-2023-24-दिनांक 25-10-2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

(धर्मेन्द्र मिश्र)
उप सचिव।

संख्या : /58-1-2023/54-2002-001-4-2023-2,दिनांक 02 नवंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3. निदेशक,वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-52/2023/3321/ 58-1-2023-54-2002(001)/4/2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 02 नवम्बर, 2023**

विषय: व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-459//बा0वि0परि0/आं0बा0स्था0/2023-24, दिनांक 21 जुलाई, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान में रु0 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/ राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

6- प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

8- उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9- प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

10- योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

11- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

12- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- नवीन कार्यों हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के पूर्व योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी.एम.-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-148-E-4-115-X-2023-24, दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : बी.एम.-9 (भाग-1)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या-3321(1)/58-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
5. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त(लेखा) अनुभाग-1।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A054-20232024-54-2002-001-4-2023-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-03-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद 16-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
049	2235021022100 (मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना)	42 (अन्य व्यय)	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	97,00,00,000 रुपये सत्तानवे करोड़ मात्र	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
कुल					₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
049	2235021020300 (बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	8,10,00,000 रुपये आठ करोड़ दस लाख मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	11,10,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ दस लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. उपलब्ध बचत का कारण-योजना अभी संचालित नहीं है और लगभग चार माह व्यतीत हो चुके हैं। अत: बचत सम्भावित है।
2. अधिक व्यय का कारण-बजट प्रावधान कम होने के कारण।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-148-E-4-115-X-2023-24-दिनांक 25-10-2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

(धर्मेन्द्र मिश्र)
उप सचिव।

संख्या : /58-1-2023/54-2002-001-4-2023-2,दिनांक 02 नवंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3. निदेशक,वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।